# कार्यालय अंचल अधिकारी, देवरी

केस संख्या :– ~~19/19-20~~ 17/19-20

केस का प्रकार :– विविध वाद

**प्रथम पक्ष**– युसुफ अंसारी, साकिन–बैरिया **बनाम** **द्वितीय पक्ष**– धनेश्वर मंडल पिता–कार्तिक मंडल साकिन–बैरिया

| आदेश की क्रम संख्या एंव तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित |
|---|---|---|
| 23.04.19 | युसुफ अंसारी ग्राम बैरिया के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर खाता न० 106, प्लौट न० 2806 पर धनेश्वर मंडल पिता स्व० कार्तिक मंडल द्वारा मनमानी तरीके से मकान बनाने के काम कर रहा है। उस जमीन में हो रहे काम को रोकने के लिए गये तो मुझे और मेरी पत्नी को मारपीट किया गया उक्त जमीन मेरे द्वारा पोखन मियां के नाम से रैयती खतियानी है। प्राप्त आवेदन पत्र पर हल्का राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>देवरी। | |
| 15.05.19 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किया गया। पक्ष एवं विपक्ष को मूल कागजात के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश निर्गत करें, अभिलेख दिनांक 29.5.19 को प्रस्तुत करें।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>देवरी। | |
| 29.5.19 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है पुनः स्मारित करें। अभिलेख दिनांक 8/6/19 को प्रस्तुत करें।<br>अं० अ० | |
| 8/6/19 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनों पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित हैं। राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 19.6.19 को प्रस्तुत करें।<br>अं० अ०<br>देवरी | |

19.6.19 अभिलेख अवलोकित किया गया। प्रकाशन पत्र एवं विज्ञप्ति पत्र होतो न्यायालय में अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 29.6.19 को प्रस्तुत करें।

अ०अ०

29.6.19 अभिलेख अवलोकित किया गया। प्रकाशन प.प. एवं विज्ञप्ति पत्र होतो न्यायालय में अनुपस्थित है। राजस्व अभिलेख का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। [illegible] हुए अविलम्ब प्रतिवेदन देने का आदेश है। अभिलेख दिनांक 15.7.19 को प्रस्तुत करें।

अ०अ०

17.7.19 अभिलेख अवलोकित किया गया। राजस्व अभिलेख का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया। अभिलेख दिनांक 3.8.19 को प्रस्तुत करें।

अ०अ०

3.8.19 अभिलेख अवलोकित किया गया। प्रकाशन पत्र एवं विज्ञप्ति पत्र होतो न्यायालय में अनुपस्थित है। अभिलेख दिनांक 31.8.19 को प्रस्तुत करें। [illegible] [illegible] किया गया है जो अभिलेख के [illegible] है।

31.8.19 अभिलेख अवलोकित किया गया। प्रकाशन पत्र एवं विज्ञप्ति पत्र होतो न्यायालय में उपस्थित [illegible] को अवलोकित अभिलेख दिनांक 14.9.2019 को अवलोकित करें।

अ०अ०

[illegible] अभिलेख अवलोकित किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। हल्का राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त है। अतः दोनों पक्षों को पुनः नोटिस जारी करें कि उक्त वाद का अंतिम सुनवाई तिथि 26.9.2019 को निर्धारित है। अतः उक्त नि॰ति॰ को अपना पक्ष दस्तावेज समर्पित करें।

अं॰अ॰

26.9.19 अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनों पक्ष अनुपस्थित हैं। अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 4.10.19 को प्रस्तुत करें।

अं॰अ॰

4/10/19 अभिलेख उपस्थापित किया। आवेदक एवं विपक्षी अनुपस्थित। अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 4/11/19 को प्रस्तुत करें।

अं॰अ॰

4/11/19 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 18/11/2019 को रखें।

अं॰अ॰

18/11/2019 अभिलेख उपस्थापित किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित। आदेश पर रखें।

18.11.2019

# आदेश

विवादित भूमि :- हल्का IX, ग्राम - बैरिया, खाता सं० - 106
प्लॉट सं० 2806, रकबा - 36 डी०

प्रथम पक्ष ने विवादित भूमि पर अपना दावा करते हुए साक्ष्य के रूप में खतियान प्रस्तुत किया जो पोरवन मियां पि० कुंजो मियां के नाम से है। पोरवन मियां प्रथम पक्ष के दादा हैं। जमाबंदी कायम नहीं है।

द्वितीय पक्ष धनेश्वर मंडल ने अपने पक्ष में दो निबंधित केवाला सं० 4497 दिनांक 28.12.2012 एवं 4498 दिनांक 28-12-2018 प्रस्तुत किया है जो मौजा बैरिया के खाता सं० 106 प्लॉट सं० 2806 रकबा क्रमश: 18 डी० एवं 18 डी० कुल 36 डी० का है। साथ-ही द्वितीय पक्ष ने निबंधित केवाला के विक्रेता सदानन्द प्रसाद के नाम अंचल कार्यालय से निर्गत शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया गया।

राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दावा मजबूत प्रतीत होता है।

चूंकि उभय पक्ष विवादित भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं, जो स्वत्व से संबंधित है।

अत: वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 18.11.19
अंचल अधिकारी
रेवरी।

(हस्ताक्षर) 18.11.2019
अंचल अधिकारी
रेवरी।

C.C. issued
(हस्ताक्षर)
18/11/20